



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012022-232431
CG-DL-E-05012022-232431

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 5, 2022/पौष 15, 1943

No. 39]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 5, 2022/PAUSHA 15, 1943

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2022

का.आ. 40(अ).— राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 (1987 का 37) की धारा 9 के साथ पठित धारा 8 की उप-धारा (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यकारी निदेशक श्री मीनेश सी. शाह को 01.12.2021 से अगले 06 महीनों की अवधि तक अथवा अध्यक्ष पद पर नियमित पदधारी की नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपने को विस्तारित करती है तथा इस प्रयोजन हेतु भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 2545 (अ), दिनांक 24 जून, 2021 में संशोधन करती है।

[फा. सं. एम-03018/3/2020-प्रशा०-4-भाग(1)]

के. पी. जे. जराल्ड, उप सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 4.03.1994 की अधिसूचना का. आ. 210 (अ) के तहत प्रकाशित की गई थी तथा इसके तत्पश्चात् का. आ. 132 (अ) दिनांक 31.3.95, का. आ. 532 (अ) दिनांक 6.6.95, का. आ. 166 (अ) दिनांक 3.3.96, का. आ. 386 (अ) दिनांक 3.6.96, का. आ. 605 (अ) दिनांक 2.8.96, का. आ. 678 (अ)

दिनांक 12.8.96, का. आ. 750 (अ) दिनांक 13.10.97, का. आ. 836 (अ) दिनांक 8.12.97, का. आ. 738 (अ) दिनांक 28.8.98, का. आ. 1005 (अ) दिनांक 26.11.98, का. आ. 1202 (अ) दिनांक 14.10.2003, का. आ. 2279 (अ) दिनांक 25.9.2008, का. आ. 362 (अ) दिनांक 06.02.2014, का. आ. 412 (अ) दिनांक 11.02.2014, का. आ. 2582 (अ) दिनांक 29.07.2016, का. आ. 3589 (अ) दिनांक 30.11.2016, का. आ. 5949 (अ), दिनांक 03.12.2018, का. आ. 1140 (अ), दिनांक 06 मार्च, 2019, का. आ. 4418 (अ), दिनांक 4 दिसम्बर, 2020 और का. आ. 2545 (अ), दिनांक 24 जून, 2021 के द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2022

S.O. 40(E).— In exercise of powers conferred by Sub-Section (2) and (3) of Section 8 read with Section 9 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987), the Central Government hereby extends the entrustment of the additional charge of the post of Chairman, National Dairy Development Board to Shri Meenesh C. Shah, Executive Director, National Dairy Development Board for a further period of six months w.e.f 01.12.2021, or till the regular appointment to the post or until further orders, whichever is earliest, and for that purpose makes the amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Department of Animal Husbandry & Dairying) S.O. 2545 (E) dated 24.06.2021.

[F. No. M-03018/3/2020-Admin-4-Part(1)]

KPJ GERALD, Dy. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India vide S.O.210 (E) dated 4th March, 1994 and subsequently amended vide S.O.132 (E) dated 31.3.95, S.O. 532(E) dated 6.6.95, S.O. 166 (E) dated 3.3.96, S.O.386(E) dated 3.6.96, S.O.605(E) dated 2.8.96, S.O. 678 (E) dated 12.8.96, S.O.750 (E) dated 13.10.97, S.O.836(E) dated 8.12.97, S.O.738(E) dated 28.8.98, S.O.1005(E) dated 26.11.98, S.O.1202 (E) dated 14.10.2003, S.O.(E) 2279 dated 25.9.2008, S.O.362(E) dated 06.02.2014, S.O.412(E) dated 11.02.2014, S.O.2582(E) dated 29.07.2016, S.O.3589(E) dated 30.11.2016, S.O. 5949(E) dated 03.12.2018 and S.O. 1140 (E) dated 06th March, 2019, S.O. 4418 (E) dated 04.12.2020, and S.O. 2545 (E) dated 24.06.2021.